तारीख हुक्म	**न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा जिला डूंगरपुर** **सीएनआर नंबर– RJDG09-000211-2019** **नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या 153/2029 सीआईएस 156/19** राजस्थान राज्य बनाम **अश्विन वगैरा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांकः 27.03.2026

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्तगण **अश्विन, नरेश व महेशभाई** मय अधिवक्ता **श्री विरेन्द्रसिंह चौहान** के साथ उपस्थित। साक्ष्य अभियोजन में कोई गवाह उपस्थित नही है।

अधिवक्ता/अभियुक्तगण ने इसी स्तर पर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर इस प्रकरण में स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री एवं अभियुक्तगण द्वारा की गई स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त **अश्विन** को अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में तथा अभियूक्त **नरेश व महेशभाई** को अपराध धारा 19/54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप मे दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के अंवीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(हरिश मेनारिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाडा
जिला डूंगरपुर

सजा व परिवीक्षा के प्रश्न पर सुनने एवं पत्रावली और विधि का अवलोकन करने के बाद न्यायालय का विनम्र मत इस प्रकार है कि पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य नहीं है और इस आशय का अभियुक्तगण ने पृथक से शपथ पत्र भी पेश किया है। अभियुक्तगण से बरामदशुदा शराब की मात्रा भी अधिक नहीं है। अतः अपराध की प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्त अश्विन को दोषसिद्ध अपराध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में तथा अभियुक्तगण नरेश व महेशभाई को अपराध धारा 19/54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम मे तत्काल किसी सजा से दण्डित नहीं कर अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि अभियुक्तगण 20,000 रूपये का मुचलका व इसी कदर राशी की एक जमानत दो वर्ष की अवधि के लिये इन शर्तो की पेश कर तस्दीक करावे कि अभियुक्तगण समाज मे शान्ति व सदाचार बनाए रखेंगे, अपराध की पुनरावृति नहीं करेंगे तथा न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर सजा भुगतने हेतु तत्पर रहेंगे तो अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। साथ ही अभियुक्तगण को आदेश दिया जाता है कि वह अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत **2,400/– रूपये** बतौर अभियोजन व्यय जमा करायेंगे। **प्रकरण में जब्तशुदा शराब के बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किये जाने बाबत सम्बन्धित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो।**

अभियुक्तगण ने आदेशानुसार अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत जमानत मुचलके पेश किये, जो बाद जांच तस्दीक कर शामिल पत्रावली किये गये। अभियुक्तगण ने आदेशानुसार अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत **अभियोजन व्यय की राशि रूपये 2,400/– ऑनलाईन जरिये जीआरएन नं. 0120929791 दिनांक 27.03.2026** जमा करवाकर ई–चालान की प्रति पेश की, जो शामिल पत्रावली रहे। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर रिहा किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिलान् दाखिल दफ्तर हो।

(हरिश मेनारिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,सीमलवाडा
जिला डूंगरपुर

sehrishtedar grade-II
"I attest to the accuracy and authenticity of document."
RAMANALAL
Digitally signed by RAMANALAL
Location: JM COURT SIMALWARA
Date: 2026.04.01 11:52:17 +0530